फार्म 3

FORM 3 (नियम 54 (12) देखें) [See Rule 54 (12)] परिवार का विवरण (Details of Family)

सरकारी कर्मचारी का नामः					
Name of the Government Servant					
पदनामः					
Designation					
जन्म तिथि					
Date of Birth					
नियुक्ति की तारीखः					
Date of appointment					
दिनांक// 201को मेरे परिवार* का विवरण निम्नानुसार है:—					
Details of the members of my family* as on:/201					
क्रम सं.	परिवार* के सदस्यों के	1	अधिकारी के साध		अभ्युक्ति
(Serial	नाम	(Date of		के हस्ताक्षर	(Remarks)
No.)	(Name of the	Birth)	(Relationship with the officer)	(Initials of the Head	(ICIIIai Ks)
	members of family*)		with the officer)	of Office)	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	~				
7.					
8.					
9.					
में यह घोषणा करता / करती हूँ कि कार्यालयाध्यक्ष को किसी भी प्रकार के संवर्धन अथवा संशोधन की					
सूचना देते हुए मैं, उक्त जानकारी को अद्यतन रखूंगा / रखूंगी।					
(I hereby undertake to keep the above particulars up-to-date by notifying to the					
Head of the Office any addition or alteration.)					
स्थान (Place)					
सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर					
दिनांक (Dated) Signature of the Govt. Servant					
* इस प्रयोजन के लिए परिवार से आशय है जैसे कि परिवार की परिभाषा सीसीएस (पेंशन) नियम,					
1972 के नियम 54 के उप—नियम(14) के खंड (ख) में दी गई है।					
(* Family for this purpose means family as defined in Clause (b) of sub rule (14) of					
Rule 54 of the CCS Pension Rules, 1972.)					
टिप्पण:- पत्नी तथा पति में कमशः न्यायिक रुप से पृथक हुए पत्नी तथा पति शामिल हैं।					
(NOTE Wife and husband shall include respectively judicially separated wife and					

husband.)